

अध्याय-II : बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य के करदाताओं द्वारा संबंधित कानूनों के अन्तर्गत देय माल और सेवा कर/मूल्य वर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर/प्रवेश कर से प्राप्तियां सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) द्वारा प्रशासित की जाती हैं। आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) का प्रमुख होता है और 23 अतिरिक्त आयुक्त, 46 उपायुक्त, 91 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 405 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और एक वित्तीय सलाहकार उसे कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा संबंधित कर कानूनों और नियमों के प्रशासन के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्तीय सलाहकार आंतरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख होता है। इसमें 17 आंतरिक लेखापरीक्षा दल हैं। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान आयोजित आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयों का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिये कुल बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी (प्रतिशत में)
2014-15	310	413	723	471	252	35
2015-16	252	413	665	181	484	73
2016-17	484	468	952	426	526	55
2017-18	526	468	994	526	468	47
2018-19	468	467	935	847	88	9

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

यह देखा गया कि 31 मार्च 2019 को आंतरिक लेखापरीक्षा में 18,598 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	2013-14 तक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	योग
अनुच्छेद	10,758	426	614	685	2,134	3,981	18,598

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

18,598 अनुच्छेदों में से 10,758 अनुच्छेद अनुपालना/सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में पांच साल से अधिक समय से बकाया थे।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वाणिज्यिक कर विभाग में 486 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं, इनमें से लेखापरीक्षा द्वारा 162 इकाइयों, जिनमें 2.47 लाख कर-निर्धारण किये गये, का चयन नमूना जांच के लिए किया गया। इनमें से लेखापरीक्षा द्वारा 26,051 (लगभग 10.53 प्रतिशत) कर निर्धारणों की वर्ष 2018-19 में नमूना जांच की गई तथा 918 प्रकरण (लेखापरीक्षा नमूनों का लगभग 3.51 प्रतिशत) कर/ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण आगम कर की अनियमित स्वीकृति, घोषणा पत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति का अनारोपण, विनियोग सब्सिडी की अनियमित स्वीकृति, कर की गलत दर लगाना एवं नियमों/अधिनियमों के प्रावधानों की अनुपालना न करने आदि के देखे गये जिनमें राशि ₹ 138.12 करोड़ शामिल थी। उपरोक्त प्रकरण अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं इसलिये यह उदाहरण मात्र हैं। लेखापरीक्षा में समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां पूर्व वर्षों में भी दर्शायी गई हैं, तथापि न केवल ये अनियमितताएं बनी रही बल्कि आगामी लेखापरीक्षा तक ध्यान में नहीं आ सकी। सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। देखी गयी अनियमितताएं मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आती हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'माल और सेवा कर' के अंतर्गत पंजीयन	1	0.00
2	ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	1	2.25
3	'माल और सेवा कर' के अन्तर्गत प्रतिदाय	1	0.51
4	कर का अवनिर्धारण	328	83.41
5	त्रुटिपूर्ण वैधानिक प्रपत्र स्वीकार करना	21	15.47
6	क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर की अपवचना	185	16.15
7	आगत कर को अनियमित/गलत/अधिक अनुमोदन करना	96	10.06
8	अन्य अनियमिततायें:		
	(i) राजस्व से संबंधित	231	10.26
	(ii) व्यय से संबंधित	54	0.01
	योग	918	138.12

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग द्वारा 390 प्रकरणों में ₹ 8.65 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया, जिनमें से 47 प्रकरण जिनमें ₹ 4.09 करोड़ की राशि शामिल थी, वर्ष 2018-19 की लेखापरीक्षा के दौरान जबकि शेष प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में 107 प्रकरणों में ₹ 1.70 करोड़ वसूल/समायोजित किये गये। इनमें से 6 प्रकरण जिनमें राशि ₹ 24.65 लाख शामिल थी, वर्ष 2018-19 से, तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

चार प्रकरणों में ₹ 3.46 करोड़ के कर का कम आरोपण/अनारोपण लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया (अप्रैल व मई 2019)। तत्पश्चात् विभाग द्वारा इन प्रकरणों में पूरी राशि वसूल/समायोजित (दिसंबर 2018 और सितंबर 2019 के बीच) कर ली गई; अतः इन प्रकरणों की चर्चा इस प्रतिवेदन में नहीं की गई है, यद्यपि, इन प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नतः है:

- एक व्यवहारी को इस शर्त पर छूट प्रमाण पत्र दिया गया था कि यदि व्यवहारी राज्य के पंजीकृत व्यवहारी के अलावा किसी अन्य व्यवहारी से माल की खरीद करता है, तो वह मुक्ति शुल्क के अतिरिक्त उस कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो राज्य में पंजीकृत व्यवहारी से माल खरीद करने पर देय होता। कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी द्वारा कार्य के निष्पादन में उपयोग हेतु माल की अन्तर्राज्यीय खरीद पर कर के दायित्व निर्धारण करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 19.57 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।
- राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार संकर्म संविदाओं, जिसके लिए छूट प्रमाण पत्र (ईसी) प्रदान किए गए थे, में उपयोग किए गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत्य नहीं था। राज्य के भीतर माल की खरीद जिसका उपयोग ईसी कार्यों के निष्पादन में किया गया था के लिए एक व्यवहारी पर ₹ 50.41 लाख का रिवर्स कर लगाने में कर निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे।
- एक व्यवहारी द्वारा अपना कर योग्य पण्यवर्त (Turnover) ₹ 109.63 करोड़ घोषित किया गया, जबकि, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल ₹ 40.40 करोड़ के कर योग्य पण्यवर्त पर कर देयता का आकलन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.65 करोड़ के कर और ब्याज का कम आरोपण किया गया।
- एक व्यवहारी (संकर्म संविदाकार) द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए तिमाही वैट विवरणी और व्यापार स्वाता प्रस्तुत किये गये, किन्तु उक्त अवधि के लिए वार्षिक वैट विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई। कर निर्धारण प्राधिकारी, संकर्म संविदाकार के ₹ 1.18 करोड़ के कर योग्य पण्यवर्त पर कर देयता का आकलन करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 11.07 लाख का कम आरोपण हुआ।

2.4 माल एवं सेवा कर की लेखापरीक्षा

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह के स्वचालन के साथ ही लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संवैधानिक प्राधिकार की पूर्ति हेतु नमूना जांच के स्थान पर समस्त संव्यवहारों की सम्यक जांच की जाये। राज्य सरकार द्वारा जीएसटी से संबंधित आकड़ों पर पहुंच उपलब्ध नहीं करायी गई। यह संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 149) एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तों के अधिनियम, 1971 की धारा 18 के विरुद्ध है। प्रतिदाय एवं ट्रांजिशनल क्रेडिट की गत वर्षों की लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध करवाये गये कुछ हार्ड कॉपी दस्तावेजों के आधार पर लेखापरीक्षा टिप्पणी निम्न प्रकार है।

जीएसटी संव्यवहारों से संबंधित आकड़ों की अनुपलब्धता जीएसटी प्राप्तियों की सम्यक लेखापरीक्षा के मार्ग में बाधक रही।

माल एवं सेवा कर के अंतर्गत पंजीयन, प्रतिदाय एवं ट्रांजिशनल क्रेडिट

2.4.1 प्रस्तावना

जीएसटी अधिनियम, 2017 को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य कर व्यापकता को कम करना, माल एवं सेवाओं के लिए एक साझा बाजार में प्रवेश करना और सरलीकृत, स्वविनियमित एवं हस्तक्षेप रहित कर अनुपालना को व्यवस्था में लाना था। यदि एक

वित्तीय वर्ष में कर योग्य आपूर्तियों का कुल आवर्त ₹ 20 लाख से अधिक है तो राजस्थान माल एवं सेवाकर (आरजीएसटी) अधिनियम, 2017 में जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्रावधान किये गये हैं।

2.4.2 माल एवं सेवाकर के अन्तर्गत पंजीयन

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 22 (2) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को विद्यमान विधि के अधीन पंजीकृत है या अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत दिवस से अधिनियम के अधीन पंजीकृत होने के लिए दायी होगा।

आगे, आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 24 (2)(क) (विद्यमान विधि के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों का स्थानांतरण) के साथ पठित आरजीएसटी अधिनियम की धारा 139 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसको उपनियम (1) के अन्तर्गत अस्थायी पंजीयन प्रदान किया गया है, वह निर्धारित प्रपत्र यथा 'जीएसटी आरईजी 26', में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित, साथ ही आवेदन में निर्दिष्ट सूचनाओं एवं दस्तावेजों के साथ आम पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन पंजीयन के लिए उत्तरदायी है, वह उस दिनांक, जिसको वह पंजीयन के लिए दायी होता है, से तीस दिवस के भीतर ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। आगे, आरजीएसटी नियम, 2017 का नियम 9 (आवेदन का सत्यापन एवं अनुमोदन) पंजीयन प्रक्रिया के लिए विवरण प्रदत्त करता है। आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 18(1)(क) के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिए आवेदन किया है, उस दिनांक से तीस दिवस के भीतर, जिसको वह पंजीयन के लिए दायी हो गया है और उसे ऐसा पंजीयन प्रदान कर दिया गया है, स्टॉक में धारित आगत और उस दिनांक से, जिससे वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कर भुगतान करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिवस को स्टॉक में धारित अर्ध निर्मित या पूर्ण निर्मित माल में अंतर्विष्ट आगत के संबंध में आगत कर जमा को लेने का हकदार होगा।

विभाग द्वारा नये करदाताओं के पंजीयन से संबंधित 31 मार्च 2018 तक के प्रदत्त कराये गये आकड़ों की संवीक्षा की गयी। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित दृष्टिगत हुआ:

क्र.सं.	अनियमितताओं का विवरण	सरकार का जवाब/अभ्युक्तियां
1.	<p>करदाताओं का जीएसटी व्यवस्था के अन्तर्गत अन्तिम रूप से स्थानांतरित नहीं होना</p> <p>वैट के अन्तर्गत मौजूदा 83,173 पंजीकृत करदाता जिन्हें अस्थायी पंजीयन प्रदान किया गया, अन्तिम रूप से जीएसटी के अन्तर्गत स्थानांतरित नहीं हुए। जिसमें से वैट के तहत 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 25 करोड़ से अधिक सकल पण्यवर्त वाले 132 करदाता थे। उनमें से 38 करदाता नयी जीएसटी संस्था के साथ पंजीकृत हुए, 24 करदाताओं ने वैट के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त करवाया एवं 70 करदाताओं ने अन्तिम रूप से पंजीयन नहीं करवाया। इन 70 करदाताओं में से 24 करदाता जयपुर जोन- I, II एवं III से संबंधित थे। इन 24 करदाताओं के अभिलेखों की जांच स्थानांतरण</p>	<p>लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (सितम्बर 2019), सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि दो करदाता अन्य फर्म में समामेलन/विलयन होने के कारण, चार करदाता आवश्यक दस्तावेजों के अपलोड नहीं होने के कारण एवं अन्य चार व्यापार बंद होने के कारण पंजीकृत नहीं हुए। शेष 10 करदाताओं के संबंध में कोई कारण सूचित नहीं किया गया। आगे व्यापार बंद करने के प्रकरणों में लेखापरीक्षा को कोई समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं</p>

	<p>नहीं होने के कारणों के साथ लेखापरीक्षा में की गयी। यह दृष्टिगत हुआ कि चार करदाता अन्य राज्यों में पंजीकृत थे एवं अन्तिम रूप से राजस्थान में स्थानांतरित नहीं हुए।</p>	<p>किये गये। यह विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता की कमी को इंगित करता है।</p>
<p>2.</p>	<p>निर्धारित समयावधि के पश्चात् नये पंजीकरण होना</p> <p>यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान 1,91,172 नये पंजीकृत करदाताओं में से 4,076 करदाता उनके पंजीयन हेतु उत्तरदायी होने की दिनांक से 31 से 270 दिनों की अवधि में पंजीकृत हुए। लेखापरीक्षा ने पंजीयन के लिए आवेदन करने में विलम्ब का निर्धारण करने हेतु आगे की सूचनाओं यथा करदाताओं द्वारा पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक एवं दिनों की संख्या जिसके अन्तर्गत विभाग ने पंजीयन प्रदान किया, के लिए निवेदन किया। विभाग ने अप्रैल एवं जून 2019 में स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद सूचनाएँ प्रदान नहीं की। विभाग ने लेखापरीक्षा को जीएसटी से संबंधित आँकड़ों की पहुँच हेतु सुविधा प्रदान नहीं की। चूक को विभाग को सूचित किया गया (जून 2019) एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2019)।</p>	<p>सरकार ने बताया (जनवरी 2020) कि राजस्थान जीएसटी प्रणाली में एक Model II राज्य है एवं संबंधित सॉफ्टवेयर एवं आँकड़े माल एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा संधारित किये जाते हैं, इसलिए वांछित सूचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, सुरक्षित फाईल हस्तान्तरण प्रोटोकॉल (एसएफटीपी) सर्वर के माध्यम से जीएसटीएन द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ ही विभाग के पास उपलब्ध हैं। राज्य कर विभाग के पास जीएसटी आँकड़ों की उपलब्धता एवं पहुँच बहुत सीमित है एवं एसएफटीपी सर्वर के माध्यम से जीएसटीएन द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं के अलावा अतिरिक्त सूचनाएँ/आँकड़े उपलब्ध कराना संभव नहीं है।</p>
<p>उत्तर से इंगित होता है कि जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन प्रक्रिया संबंधित आँकड़ों के संधारण एवं उनकी उपलब्धता की सुनिश्चितता के लिए विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी नहीं थी।</p>		
<p>वांछित सूचनाओं की अनुपलब्धता से लेखापरीक्षा में जीएसटी के अन्तर्गत नये पंजीयनों के आवेदन/प्रदान करने में विलम्ब का निर्धारण नहीं किया जा सका। इसके अलावा, उन प्रकरणों में जहां करदाताओं ने उनके पंजीयन हेतु उत्तरदायी होने की दिनांक से 30 दिनों के पश्चात् पंजीयन हेतु आवेदन किया है, पंजीयन से पूर्व के स्टॉक पर आगत कर जमा के दावों, यदि कोई हो, की सत्यता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।</p>		
<p>निष्कर्ष एवं सिफारिशें</p> <p>विभाग ने विद्यमान करदाताओं के जीएसटी में स्थानान्तरण नहीं होने के कारणों को सुनिश्चित नहीं किया। यह दृष्टिगत हुआ कि जीएसटी के अन्तर्गत 4,076 करदाता 31 से 270 दिनों के विलम्ब से पंजीकृत हुए। नये आवेदकों द्वारा आवेदन की दिनांक की सूचना के अभाव के कारण नये पंजीयन के आवेदन/प्रदान करने में विलम्ब का लेखापरीक्षा में निर्धारण नहीं किया जा सका। आगे, पंजीयन से पूर्व के स्टॉक पर आगत कर जमा के अनियमित दावों, जहां करदाता ने 30 दिनों के पश्चात् पंजीयन हेतु आवेदन किया है, की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण मुख्यतः सीएजी के संवैधानिक अधिकार को सीमित करता है एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों की जवाबदेही की कमी के रूप में परिणित होता है।</p> <p>लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि</p> <ul style="list-style-type: none"> विभाग को विद्यमान करदाताओं के स्थानांतरित नहीं होने के कारणों का विश्लेषण करना चाहिये एवं सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यवसायिक गतिविधियां जीएसटी में पंजीयन के बिना संचालित नहीं की जा रही हों। जीएसटीएन से आवश्यक आंकड़े/सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु एक प्रभावोत्पादक सूचना डाटाबेस संधारित करना चाहिये ताकि अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत नये पंजीयन के आवेदन/प्रदान करने से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। 		

2.4.3 माल एवं सेवाकर के अन्तर्गत प्रतिदाय

2.4.3.1 प्रस्तावना

सटीक और समयबद्ध प्रतिदाय तंत्र एक कुशल कर प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यह कार्यशील पूंजी, मौजूदा व्यापार के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए अवरुद्ध निधियों के निर्मोचन के माध्यम से व्यापार को सुविधा प्रदान करता है।

2.4.3.2 विधिक प्रावधान

जीएसटी के अन्तर्गत प्रतिदाय की प्रक्रिया सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58, आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58, आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89 से 97, एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम (आईजीएसटी), 2017 की धारा 16 एवं

समय-समय पर इनके अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं/परिपत्रों द्वारा शासित होती है। सीजीएसटी, आईजीएसटी एवं सेस के अन्तर्गत प्रतिदाय राशि केन्द्रीय कर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है, जबकि आरजीएसटी के अन्तर्गत प्रतिदाय राशि राज्य कर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है। यदि करदाता का विधिक क्षेत्र केन्द्र से राज्य प्राधिकारी को या राज्य से केन्द्र प्राधिकारी को परिवर्तित होता है तो मूल प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रतिदाय आदेश, संबंधित समकक्ष प्राधिकारी को, स्वीकृत राशि के भुगतान हेतु सात कार्यदिवसों के अन्दर संप्रेषित किया जावेगा।

2.4.3.3 कर का प्रतिदाय

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 54(1) के अनुसार कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो, या उसके द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय का दावा करता है, वह प्रासंगिक तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा। आगे, धारा 54 (3) के अनुसार कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी कर अवधि के अंत में ऐसे आगत कर जमा का, जिसका उपयोग नहीं किया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।

परन्तु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किये गये आगत कर जमा के प्रतिदाय का कोई दावा अनुमत नहीं किया जावेगा:

- (i) कर का भुगतान किये बिना की गयी शून्य दर आपूर्ति;
- (ii) जहां निर्गत आपूर्ति (शून्य दर या पूर्णतः छूट आपूर्ति के अलावा) की तुलना में आगत कर पर कर की अधिक दर के कारण जमा संचित हुआ है। सिवाय उन माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के जैसा कि परिषद की अनुशंसा पर सरकार अधिसूचित करे।

परन्तु यह और कि आगत कर जमा, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुमत नहीं किया जायेगा जहां भारत से बाहर निर्यात किया गया माल निर्यात शुल्क के अध्याधीन है।

परन्तु यह भी कि आगत कर जमा के किसी प्रतिदाय को अनुमत नहीं किया जावेगा, यदि माल या सेवाओं या दोनों का आपूर्तिकर्ता ऐसी आपूर्ति पर देय एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है।

2.4.3.4 लेखापरीक्षा की कार्यपद्धति एवं क्षेत्र

प्रतिदाय के मामलों की लेखा परीक्षा, आरजीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिदाय को स्वीकृत करने में राज्य कर प्राधिकारियों एवं इनकी क्षेत्र रचना की निष्पादन दक्षता का आकलन करने के लिये की गयी थी। लेखापरीक्षा ने इस सम्बन्ध में प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस के प्रभावी क्रियान्वयन की जांच की।

राजस्थान में, राज्य के 13 क्षेत्रीय कर कार्यालयों के अन्तर्गत, जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 के दौरान 776 मामलों में ₹ 107.58 करोड़ के प्रतिदाय स्वीकृत किये गये। लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय कार्यालयों का चयन ₹ पांच लाख से ज्यादा राशि के स्वीकृत अधिकतम प्रतिदाय (एक क्षेत्र में ऐसे कम से कम 10 मामले हो) के आधार पर किया। इस प्रकार सात क्षेत्रीय

कार्यालयों¹ का चयन किया गया जिनमें 717 प्रतिदाय के मामले स्वीकृत थे, इनमें से ₹ पांच लाख से अधिक के 348 प्रतिदाय के मामलों की अप्रैल से जून 2019 के दौरान जांच की गयी। यद्यपि, विभाग ने जीएसटी से संबंधित आँकड़ों तक पहुँच प्रदान नहीं की, लेखापरीक्षा ने केवल उपलब्ध कराये गये भौतिक दस्तावेजों/अभिलेखों का विश्लेषण किया।

2.4.3.5 लेखापरीक्षा टिप्पणी

क्र.सं.	अनियमितताओं का विवरण	सरकार का जवाब/अभ्युक्तियाँ
1.	<p>प्रतिदाय की स्वीकृति में विलम्ब</p> <p>आरजीएसटी नियमों के नियम 91(2) एवं 92 के अन्तर्गत आरजीएसटी अधिनियम की धारा 54(6) के उपबंधों के अनुसरण में शून्य दर आधारित आपूर्ति के संबंध में दावा की गयी प्रतिदाय की राशि की 90 प्रतिशत राशि आरजीएसटी के नियम 90 के उप नियम (1) और (2) के अधीन पावती की दिनांक से सात दिवस के भीतर अनंतिम आधार पर स्वीकृत की जावेगी। आगे, प्रतिदाय की पूर्ण राशि धारा 54(7) के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से 60 दिवस के भीतर स्वीकृत की जावेगी। यदि प्रतिदाय 60 दिवस के भीतर स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आरजीएसटी अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत अधिसूचित की गयी ब्याज की दर से भुगतान किया जावेगा।</p>	
	<p>पांच आरजीएसटी क्षेत्रों (नौ वृत्त) में चयनित किये गये स्वीकृत जीएसटी प्रतिदाय प्रकरणों की संवीक्षा के दौरान देखा गया कि 70 मामलों में प्रतिदाय की शेष 10 प्रतिशत राशि ₹ 3.45 करोड़ निर्धारित अवधि 60 दिनों के व्यतीत होने के बाद नौ से 418 दिनों के विलम्ब से स्वीकृत की गयी। आगे दो आरजीएसटी क्षेत्रों के 15 मामलों में 10 प्रतिशत शेष राशि ₹ 57.23 लाख इनकी पावती के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी (मार्च 2019) स्वीकृत नहीं की गयी थी। शेष राशि की स्वीकृति में विलम्ब विधान की भावना के विपरीत है और परिणामस्वरूप विभाग ब्याज की देयता के भुगतान का दायी होगा, इसके अलावा इस दौरान डीलरों को कठिनाई उत्पन्न होगी।</p>	<p>चूक को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2019)। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवम्बर 2019) प्रतिदाय की स्वीकृति में विलम्ब के कारणों में आईसगेट पोर्टल से निर्यात के साक्ष्यों के सत्यापन में अधिक समय लगना एवं जीएसटी पोर्टल पर आईटीसी के सत्यापन की ऑनलाइन उपलब्धता नहीं होने को उपारोपित किया। यह भी बताया कि वर्तमान में शेष 10 प्रतिशत राशि के प्रतिदाय की स्वीकृति निर्धारित अवधि में की जा रही है।</p>
2.	<p>प्रतिदाय का अधिक भुगतान</p> <p>आरजीएसटी के नियम 89(4) के अनुसार माल या सेवा या दोनों के शून्य दर पर या आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में बंधन या वचनपत्र के अधीन कर के भुगतान के बिना आपूर्ति की दशा में आगत कर जमा का प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्रदान किया जावेगा।</p> <p>प्रतिदाय राशि =(शून्य दर आपूर्ति के माल का व्यापार आवर्त + शून्य दर आपूर्ति की सेवा का व्यापार आवर्त) *शुद्ध आगत कर जमा /समायोजित कुल व्यापार आवर्त</p>	
	<p>पांच आरजीएसटी क्षेत्रों (छः वृत्त) में स्वीकृत किये गये प्रतिदाय के चयनित मामलों की संवीक्षा में पाया कि बिना कर भुगतान के किये गये शून्य दर आपूर्ति के छः मामलों में प्रतिदाय की स्वीकृति निर्धारित सूत्र के आधार पर नहीं की गयी थी। प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1.70 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.21 करोड़ के प्रतिदाय स्वीकृत किये गये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.51 करोड़ की राशि के प्रतिदाय का अधिक भुगतान हुआ।</p>	<p>चूक को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2019)। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2019) कि चार करदाताओं से अधिक भुगतान किये गये प्रतिदाय के संबंध में राशि ₹ 33.43 लाख ब्याज ₹ 7.78 लाख सहित वसूल कर ली गयी है। इसके अलावा एक मामले में ₹ 2.42 लाख की वसूली भी सूचित की गयी, जो कि जीएसटी/सीजीएसटी के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, इसलिए स्वीकार्य नहीं है, एवं शेष एक मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है।</p>
3.	<p>निर्यात सामान्य घोषणापत्र (ई.जी.एम.) प्राप्त किये बिना प्रतिदाय स्वीकृत किये जाना।</p> <p>आरजीएसटी नियमों (नियमों) के नियम 89(2)(ब) के अनुसार जहां प्रतिदाय, बिना कर भुगतान के माल के निर्यात के संबंध में है, प्रतिदाय के आवेदन के साथ विवरणपत्र, जिसमें शिपिंग बिल या निर्यात बिल संस्था एवं दिनांक एवं संबंधित निर्यात बीजक की संस्था व दिनांक अंकित हो, संलग्न किया जावेगा।</p>	

¹ क्षेत्रीय कार्यालय: अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर-I, II, III, जोधपुर एवं उदयपुर।

<p>नियम 89(2)(ब) एवं 89(2)(स) के अन्तर्गत विवरणपत्र 3 इसी उद्देश्य हेतु बनाया गया है, जिसके अनुसार बिना कर भुगतान के माल के निर्यात के संबंध में ईजीएम संख्या व दिनांक का उल्लेख आवश्यक है। आगे नियम 90(3) के अनुसार यदि कोई कमी संज्ञान में आती है, वहां उचित अधिकारी आवेदक को प्रारूप जीएसटी आरएफडी-03 के माध्यम से कमियों को सूचित करेगा, जिससे उसे ऐसी कमियों को सुधारने के बाद नए प्रतिदाय आवेदन को फाईल करने की आवश्यकता होगी।</p>	
<p>पांच आरजीएसटी क्षेत्रों² के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि इन क्षेत्रों में कुल 667 शिपिंग बिलों में से ₹ 20.56 करोड़ की राशि के 325 शिपिंग बिलों में ईजीएम संख्या एवं दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया था। तथापि, विभाग ने सभी 667 शिपिंग बिलों से संबंधित ₹ 6.01 करोड़ की राशि के प्रतिदाय की स्वीकृति 325 शिपिंग बिलों की ईजीएम संख्या एवं दिनांक की प्राप्ति के बिना कर दी। विभाग ने करदाताओं को, कमी का ज्ञापन जारी नहीं किया एवं इस प्रकार प्रतिदाय के दावों को त्रुटिपूर्ण स्वीकृत किया।</p>	<p>चूक को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2019)। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2019) एवं 325 शिपिंग बिलों में से 315 शिपिंग बिलों के ईजीएम विवरण को प्रेषित किया। निर्यात मूल्य ₹ 93.33 लाख के शेष शिपिंग बिलों का विवरण विभाग द्वारा प्रेषित नहीं किया गया।</p>
<p>जवाब से इंगित होता है कि प्रतिदाय के दावों के प्रसंस्करण के समय 325 शिपिंग बिलों का ईजीएम विवरण उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार विभाग के उचित अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप करदाताओं के प्रतिदायों का प्रसंस्करण बिना ईजीएम विवरण प्राप्ति के किया गया जो कि उक्त नियमों के अन्तर्गत अनिवार्य था। आगे, 10 शिपिंग बिलों के ईजीएम विवरण के अभाव में माल का निर्यात किया जाना निश्चित नहीं किया जा सका।</p>	
<p>निष्कर्ष विभाग ने 70 प्रकरणों में प्रतिदाय में विलम्ब किया एवं 15 प्रकरणों में प्रतिदाय अभी तक स्वीकृत नहीं किया था (मार्च 2019)। इससे ब्याज की देयता का सृजन होगा। बिना कर भुगतान के किये गये शून्य दर आपूर्ति के प्रतिदाय की राशि का अधिक भुगतान हुआ। प्रतिदाय की स्वीकृति, शिपिंग बिलों में बिना ईजीएम विवरण के की गयी।</p>	

2.4.4 ट्रांज़िशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

2.4.4.1 परिचय

आगत कर लाभ प्राप्त करने हेतु ट्रांज़िशनल व्यवस्थाएं आरजीएसटी अधिनियम 2017 एवं सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अनुच्छेद 140 में वर्णित हैं। पंजीकृत व्यक्ति विद्यमान कानून के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणी में अग्रेषित वैट/सेनवेट, पूंजीगत सामान के संबंध में विवरणियों में अग्रेषित न की गयी सेनवेट/न लिया गया आगत कर लाभ तथा निर्धारित तिथि को स्टॉक में रखे कच्चे माल/अर्ध निर्मित/निर्मित माल के संबंध में वैट/सेनवेट राशि का लाभ अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेने के अधिकारी थे। पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र TRAN-1 में एक विवरणी प्रस्तुत की जानी थी।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 74) की धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6, धारा 6(ए) अथवा धारा 8 की उपधारा 8 से संबंधित क्रेडिट का कोई दावा, जो केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं टर्नओवर) नियम 1957 के नियम 12 में वर्णित विधि एवं निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा योग्य नहीं है।

2.4.4.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं क्रियाविधि

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी (जून 2018) सूचना (dump data) के अनुसार, 61,517 करदाताओं द्वारा TRAN-1 प्रस्तुत करके ₹ 4,758.66 करोड़ के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया गया, इनमें से 46,138 करदाता, जिनके द्वारा ₹ 2,200.73 करोड़ के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया गया था, राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में थे।

² आरजीएसटी क्षेत्र- जयपुर- II, III, अलवर, जोधपुर एवं उदयपुर।

जोन-द्वितीय, जयपुर के क्षेत्राधिकार में 2704 करदाताओं द्वारा ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच हेतु राज्य के क्षेत्राधिकार में जोन-द्वितीय, जयपुर में पंजीकृत 123 करदाताओं (दावा किया गया ट्रांज़िशनल क्रेडिट ₹ 163.52 करोड़), जहाँ प्रत्येक प्रकरण में सीजीएसटी एवं एसजीएसटी के रूप में ₹ 20 लाख से अधिक का दावा किया गया था, का नमूने के रूप में चयन किया गया। करदाताओं द्वारा निम्न श्रेणियों में ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया गया:

(₹ करोड़ में)

दावा किया गया क्रेडिट	अग्रेषित किया गया क्रेडिट	प्राप्त न किया गया क्रेडिट	इनपुट में रखा गया स्टॉक	प्रिंसिपल की ओर से स्टॉक में रखा माल	योग
सीजीएसटी	66.74	6.05	72.09	1.14	146.02
एसजीएसटी	15.46	-	2.04	-	17.50

चयनित करदाताओं द्वारा 30 जून 2017 को समाप्त माह/तिमाही के लिये प्रस्तुत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर विवरणियों एवं 30 जून 2017 के लिये वेट विवरणियों हेतु विभागीय वेब पोर्टल 'राजविस्टा' की समीक्षा की गयी।

TRAN-1 के अनुसार दावा किये गये ट्रांज़िशनल क्रेडिट (सीजीएसटी एवं एसजीएसटी) के 30 जून 2017 को समाप्त माह/तिमाही के लिये प्रस्तुत वेट विवरणियों एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर विवरणियों के प्रति-सत्यापन के परिणामों एवं अन्य सम्बंधित अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि:

2.4.4.3 लेखापरीक्षा टिप्पणी

क्र.सं.	अनियमितताओं का विवरण	सरकार का उत्तर/टिप्पणियाँ
1.	<p>अग्रेषित की गयी ट्रांज़िशनल क्रेडिट का अधिक दावा</p> <p>अ) 51 करदाताओं द्वारा TRAN-1 में अग्रेषित जमा के रूप में ₹ 15.46 करोड़ के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (एसजीएसटी) का दावा किया गया। हमने पाया कि 14 करदाताओं द्वारा TRAN-1 के अंतर्गत वेट विवरणियों में दर्शाये गए आगत कर से ₹ 94.77 लाख के अधिक ट्रांज़िशनल क्रेडिट (एसजीएसटी) का दावा किया गया।</p> <p>ब) 40 करदाताओं द्वारा TRAN-1 में ₹ 66.74 करोड़ के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (सीजीएसटी) का दावा किया गया, जिनमें से 31 करदाताओं की विवरणियाँ ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गयी। इन विवरणियों की जाँच के उपरान्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ करदाताओं द्वारा ई आर-1/एस टी-3 विवरणियों में दर्शाये गए सेनवेट क्रेडिट से ₹ 128.47 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (सीजीएसटी) का अधिक दावा किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा नौ</p>	<p>प्रकरण विभाग को सूचित किया गया (नवम्बर 2019) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि दो प्रकरणों में ₹ 9.47 लाख का आगत कर रिवर्स कर दिया गया है जबकि चार प्रकरणों में ₹ 1.04 लाख (कर ₹ 1.03 लाख एवं ब्याज ₹ 0.01 लाख) वसूल कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रकरण में व्यवहारी द्वारा अधिक आगत कर को भूलवश वैट-10 के कॉलम संख्या 1.32 के स्थान पर कॉलम संख्या 1.31 में दर्शा दिया गया है यद्यपि व्यवहारी द्वारा आगत कर के अधिक प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है। शेष प्रकरणों में नोटिस जारी कर दिये गये हैं। आगामी प्रगति अपेक्षित रही (मई 2020)।</p> <p>प्रकरण विभाग को सूचित किया गया (नवम्बर 2019) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि दो प्रकरणों में ₹ 0.55 करोड़ का क्रेडिट रिवर्स/वसूल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि एक प्रकरण में आक्षेपित राशि ई आर-1 प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा TRAN-1 प्रस्तुत करने से पूर्व की अवधि में लिए गए क्रेडिट से संबंधित है। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि व्यवहारी द्वारा इस क्रेडिट का दावा TRAN-1 में</p>

	<p>करदाताओं की केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर विवरणियां उपलब्ध नहीं करायी गयी, अतः उक्त प्रकरणों की जाँच नहीं की जा सकी।</p>	<p>इस हेतु निर्धारित तालिका 7(बी) में नहीं किया गया है। शेष प्रकरणों में नोटिस जारी कर दिये गये हैं। आगामी प्रगति अपेक्षित रही (मई 2020)।</p>
2.	<p>अंतिम स्टॉक पर ट्रांज़िशनल क्रेडिट का अनियमित दावा</p> <p>केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा ट्रांज़िशनल क्रेडिट पर एक मार्गदर्शक नोट जारी किया गया (मार्च 2018), जिसमें क्रेडिट के सत्यापन की प्रक्रिया परिभाषित की गयी थी। मार्गदर्शक नोट के अनुसार विभाग द्वारा ऐसी विशिष्ट सूचनाओं का संग्रहण किया जाना चाहिए था जो क्रेडिट के सत्यापन में सहायता करें। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा भी ट्रांज़िशनल क्रेडिट के सत्यापन हेतु मार्गदर्शिका जारी की गयी थी (अप्रैल 2018)।</p> <p>92 करदाताओं द्वारा अंतिम स्टॉक के रूप में रखे इनपुट पर ₹ 72.09 करोड़ के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया गया। हालांकि मात्र एक प्रकरण में ही अंतिम स्टॉक का विवरण एवं उसके समर्थन में बीजक उपलब्ध करवाये गये। उपरोक्त प्रकरण की जाँच में पाया गया कि करदाता द्वारा 'बीड़ी मजदूर कल्याण सैस एवं NCCD' के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का अनियमित रूप से दावा किया गया, जो सीजीएसटी अधिनियम के अनुच्छेद 140 के नीचे स्पष्टीकरण-3 के अनुसार अनुमत्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.75 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (सीजीएसटी) का अनियमित दावा किया गया।</p> <p>विभाग द्वारा शेष प्रकरणों में अग्रेषित क्रेडिट के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों (न प्राप्त की गयी क्रेडिट, इनपुट के रूप में रखे माल एवं प्रिंसिपल की ओर से रखे गये माल) में दावा की गयी क्रेडिट के सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना (न प्राप्त की गयी क्रेडिट, अंतिम स्टॉक एवं सम्बंधित बीजक) संग्रहित नहीं की गयी। इसलिये इन श्रेणियों में दावा की गयी ट्रांज़िशनल क्रेडिट की शुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।</p> <p>इस प्रकार करदाताओं द्वारा ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा करने में जीएसटी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों एवं जीएसटी पूर्व कानूनों के सम्बंधित प्रावधानों की अनुपालना न किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।</p>	<p>प्रकरण विभाग को सूचित किया गया (नवम्बर 2019) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि दो प्रकरणों में व्यवहारियों द्वारा उत्पाद शुल्क/आयात शुल्क/30 जून 2017 को अंतिम स्टॉक के रूप में रखे माल पर आगत कर के लिये ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया गया था। हालांकि उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये गये। यह भी बताया गया कि शेष प्रकरणों में नोटिस जारी कर दिये गये थे। आगामी प्रगति अपेक्षित रही (मई 2020)।</p>
3.	<p>लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति की सीमायें</p> <p>(i) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जीएसटी पोर्टल पर पहुँच (access) उपलब्ध नहीं करायी गयी।</p> <p>(ii) विभाग द्वारा अंतिम स्टॉक के साथ क्रय के बीजकों के विवरण एवं पूंजीगत माल के साथ क्रय के बीजकों के विवरण जिनकी पूर्व के कानूनों में क्रेडिट का दावा नहीं किया गया था, उपलब्ध नहीं करवाये गये। इन विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा अन्य श्रेणियों यथा न प्राप्त किया गया क्रेडिट, स्टॉक के रूप में रखे गए इनपुट एवं प्रिंसिपल की ओर से रखे गये माल, में दावा किये गये ट्रांज़िशनल क्रेडिट को प्रमाणित नहीं किया जा सका।</p>	

2.5 अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा द्वारा सीएसटी/वैट/प्रवेश कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान कर/ब्याज के कम आरोपण/अनारोपण, आगत कर की अनियमित अनुमत्यता एवं अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना न करने के कुछ प्रकरण देखे गये। लेखापरीक्षा द्वारा समान प्रवृत्ति की कुछ त्रुटियाँ पूर्ववर्ती वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थीं, किन्तु न केवल ये अनियमिततायें बनी रही अपितु लेखापरीक्षा किये जाने तक उजागर नहीं हो पायी। सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार के साथ आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कुछ प्रकरण, जिनमें राशि ₹ 59.29 करोड़ सम्मिलित है, की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है। चूँकि ये प्रकरण अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं, अतः ये उदाहरण मात्र हैं।

क्र.सं.	कर निर्धारण अधिकारियों की संख्या (निर्धारण की दिनांक)	अनियमितताओं का विवरण	सरकार का उत्तर/टिप्पणियाँ
1.	17 कर निर्धारण प्राधिकारी ³ (अक्टूबर 2015 एवं मार्च 2018 के मध्य)	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण लेखापरीक्षा द्वारा 17 वृत्तों की लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय वर्षों 2013-14 से 2015-16 के लिये अधिसूचित कुछ करापवंचन संभावित सामानों के संबंध में घोषणा प्रपत्रों का उपयोग कर सामान प्राप्त करने/क्रय करने के संबंध में राजविस्ता से सूचनायें एकत्र की गयी तथा इन्हें 44 व्यवहारियों के कर निर्धारण अभिलेखों से पुनर्मिलान किया गया। यह देखा गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा राजविस्ता पर उपलब्ध अंतर्राज्यीय क्रय से सम्बंधित सूचनाओं का उपयोग नहीं किया गया तथा इन सामानों पर करारोपण में चूक की गयी। <i>इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 52.52 करोड़ के प्रवेश कर एवं ब्याज का अनारोपण हुआ।</i>	सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2018) कि 41 प्रकरणों में ₹ 21.22 करोड़ की माँग जारी कर दी गयी है जिसमें से ₹ 10.51 करोड़ वसूल कर लिये गये हैं।
2 रिवर्स कर का अनारोपण/कम आरोपण			
2(i)	कर निर्धारण प्राधिकारी विशेष वृत्त-III, जयपुर (फ़रवरी 2018)	दो व्यवहारियों द्वारा सामान ⁴ का क्रय किया गया तथा राज्य के अन्दर की स्वरीदों पर वर्ष 2015-16 के दौरान आगत कर लाभ ⁵ का दावा किया। तत्पश्चात, इन व्यवहारियों द्वारा विक्रेता व्यवहारियों से बट्टे/छूटें ⁶ प्राप्त की गयी। विवरणियों की जाँच में पाया गया कि ये सामान क्रय मूल्य से कम मूल्य अर्थात् सब्सिडाइज्ड मूल्य पर बेचे गये क्योंकि क्रेताओं द्वारा विक्रेता व्यवहारियों से बट्टे/छूटें प्राप्त की गयी थी। इसलिये, इन सामानों पर आगत कर लाभ चुकाये गये निर्गम कर की सीमा तक ही अनुमत्य किया जाना चाहिये था। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारण करते समय आगत कर लाभ के अधिक दावे का पता नहीं लगा सके तथा रिवर्स कर का आरोपण नहीं किया गया। <i>इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 28.49 लाख के रिवर्स कर के अतिरिक्त</i>	सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि ₹ 44.80 लाख (कर ₹ 29.93 लाख एवं ब्याज ₹ 14.87 लाख) की माँग जारी की गयी जिस पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगन प्रदान किया गया (मई 2019)। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।

³ वृत्त : ए भरतपुर; विशेष-I, जयपुर; विशेष-III, जयपुर; विशेष-XI, जयपुर; विशेष-II, कोटा; वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीजिंग टैक्स-III, जयपुर; विशेष-II, उदयपुर; गंगापुर सिटी; शाहजहांपुर; विशेष-II, भिवाड़ी; वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीजिंग टैक्स, भिवाड़ी; एम-जयपुर; वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीजिंग टैक्स, अलवर; सी-उदयपुर; वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा; सी-जयपुर एवं ए-भिवाड़ी।

⁴ क्रय किये गये माल का मूल्य; ₹ 33,421.19 लाख (₹ 12,844 लाख + ₹ 20,576.91 लाख)।

⁵ दावा किया गया आगत कर लाभ; ₹ 1,266.45 लाख (₹ 593.47 लाख)।

⁶ प्राप्त किये गये बट्टे/छूटें; ₹ 1,512.84 लाख (₹ 614.15 लाख + ₹ 898.34 लाख)।

		₹ 13.94 लाख के देय ब्याज (मार्च 2019 तक) का अनारोपण हुआ ।	
2(ii)	कर निर्धारण प्राधिकारी, वृत्त प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (दिसम्बर 2016 एवं अप्रैल 2017)	<p>एक व्यवहारी (निर्माता) द्वारा वर्ष 2014-15 के लिये अपनी वार्षिक वेट विवरणी में ₹ 106 करोड़ क्रय (₹ 55.45 करोड़ अन्तःराज्यीय + ₹ 50.55 करोड़ अंतरराज्यीय) एवं ₹ 128.47 करोड़ बिक्री (₹ 54.68 करोड़ अंतरराज्यीय/अन्तःराज्यीय + ₹ 73.79 करोड़ अंतरराज्यीय शाखा स्थानान्तरण) के संव्यवहार दर्शाये गये ।</p> <p>व्यवहारी द्वारा ₹ 55.45 करोड़ के अन्तरराज्यीय क्रय पर ₹ 2.79 करोड़ के आगत कर का दावा किया गया । जबकि व्यवहारी द्वारा उपरोक्त अधिसूचना की अनुपालना में अंतरराज्यीय संव्यवहारों के क्रम में ₹ 73.79 करोड़ के माल के शाखा स्थानान्तरण के संबंध में कोई रिवर्स कर नहीं दर्शाया गया था ।</p> <p>कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यवहारी का कर निर्धारण करते समय ₹ 18.01 लाख के रिवर्स कर का आरोपण किया गया । तत्पश्चात् व्यवहारी धारा 27 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया । कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा के उपरांत व्यवहारी का कर निर्धारण किया गया किन्तु अतिरिक्त रिवर्स कर का आरोपण नहीं किया गया ।</p> <p>विवरणियों की जाँच में पाया गया कि व्यवहारी द्वारा शाखा स्थानान्तरण के रूप में राज्य के बाहर माल भेजा गया जो वर्ष 2014-15 के कुल पण्यावर्त का 57.44 प्रतिशत था । व्यवहारी का अंतरराज्यीय क्रय कुल क्रय का मात्र 47.69 प्रतिशत था ।</p> <p>इस प्रकार व्यवहारी द्वारा राज्य के अन्दर क्रय किये गये माल में से 9.75 प्रतिशत⁷ (57.44 – 47.69) का उपयोग राज्य के बाहर स्टॉक हस्तांतरण में किया गया । इस प्रकार ₹ 10.34 करोड़⁸ पर चार प्रतिशत की दर से राशि ₹ 41.34 लाख रिवर्स कर आरोपणीय था ।</p> <p><i>इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर राशि ₹ 23.33 लाख (₹ 41.34 लाख – ₹ 18.01 लाख) के अतिरिक्त ब्याज ₹ 15.24 लाख (मार्च 2019 तक गणना) का कम आरोपण हुआ ।</i></p>	सरकार द्वारा सूचित किया गया (जुलाई 2019) कि ₹ 36.39 लाख की माँग जारी कर दी गयी थी । कम माँग जारी करने के कारण चाहे गये (जुलाई 2019) । सरकार द्वारा सूचित किया गया (नवम्बर 2019) कि अपीलीय प्राधिकारी अलवर द्वारा पुनर्निर्धारण हेतु प्रकरण परिप्रेषित किया गया था (सितम्बर 2019) आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020) ।
2(iii)	कर निर्धारण प्राधिकारी वृत्त-ए, भिवाड़ी (अप्रैल 2016 एवं अगस्त 2017)	<p>दो व्यवहारियों द्वारा अपनी वार्षिक विवरणियों में वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिये शाखा/स्टॉक स्थानान्तरण ₹ 758.07 करोड़ सहित सकल पण्यावर्त ₹ 1173.24 करोड़ दर्शाया गया । व्यवहारियों द्वारा अंतरराज्यीय क्रय ₹ 591.43 करोड़ एवं अन्तःराज्यीय क्रय ₹ 415.42 करोड़ दर्शाये गये तथा अंतरराज्यीय स्वरीदों पर राशि ₹ 20.87 करोड़ के आगत कर का दावा किया गया । व्यवहारियों द्वारा अधिसूचना की अनुपालना में अंतरराज्यीय संव्यवहारों के दौरान स्टॉक/शाखा/डिपो स्थानान्तरण के संबंध में रिवर्स कर नहीं दर्शाया गया ।</p> <p>विवरणियों की जाँच में पाया गया कि राज्य के अन्दर स्वरीदे गये राशि ₹ 59.94 करोड़ के माल का उपयोग स्टॉक/शाखा/डिपो स्थानान्तरण में किया गया । इसलिये चार प्रतिशत की दर से राशि ₹ 2.40 करोड़ रिवर्स कर आरोपणीय था । कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण करते समय (अप्रैल 2016 एवं अगस्त 2017) एक प्रकरण में वर्ष 2013-14 के लिये राशि रु 0.20 करोड़ के रिवर्स कर का आरोपण किया गया । यद्यपि अन्य प्रकरणों में रिवर्स कर के आरोपण के संबंध में कार्यवाही नहीं की गयी ।</p> <p><i>इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.20 करोड़ के रिवर्स कर का अनारोपण हुआ ।</i></p>	सरकार द्वारा सूचित किया गया (जुलाई 2019) कि राशि ₹ 1.48 करोड़ की माँग जारी की गयी थी तथा ₹ 0.10 करोड़ वसूल कर लिये गये थे । यह भी बताया गया कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बकाया माँग की वसूली पर स्थगन प्रदान किया गया था । आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)। यद्यपि माँग के कम आरोपण के कारणों से अवगत नहीं करवाया गया ।

⁷ स्वरीदे गये माल के अन्तरराज्यीय शाखा स्थानान्तरण में उपयोग का विवरण कर निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था अतः सम्पूर्ण अंतरराज्यीय क्रय (47.69 प्रतिशत) को शाखा स्थानान्तरण माना गया । इस प्रकार राज्य के अन्दर क्रय किये गये 9.75 प्रतिशत का उपयोग शाखा स्थानान्तरण के लिये किया गया ।

⁸ ₹ 10.34 करोड़ अर्थात् कुल क्रय ₹ 106.00 करोड़ का 9.75 प्रतिशत ।

3. अनियमित आगत कर अनुमत्य करना			
3(i)	3 कर निर्धारण प्राधिकारी ⁹ (जून 2016 एवं मार्च 2018 के मध्य)	तीन व्यवहारियों, जो चूना पत्थर के खनन एवं सीमेंट उत्पादन के व्यवसाय में थे, द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान राज्य के अन्दर से विस्फोटकों का क्रय किया गया तथा आगत कर लाभ लिया गया। अधिनियम की धारा 2(22) के अनुसार खनन कार्य निर्माण नहीं है, क्योंकि खनन में माल की ऐसी कोई संक्रिया शामिल नहीं है, जिससे वाणिज्यिक रूप से कोई भिन्न वस्तु अस्तित्व में आती हो। साथ ही विस्फोटक का सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में भी उपयोग नहीं किया जा सकता है अतः, व्यवहारियों को आगत कर अनुमत्य नहीं किया जाना चाहिये था। इसके विपरीत, कर निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारण करते समय अनियमित रूप से लिये गये आगत कर का पता नहीं लगा सके तथा आगत कर को अनुमत्य कर दिया। <i>इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.51 करोड़ के अनियमित आगत कर अनुमत्यता के साथ ₹ 0.80 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ।</i>	सरकार द्वारा सूचित किया (अक्टूबर 2019) कि राशि ₹ 2.63 करोड़ ¹⁰ की माँग जारी की गयी थी। जारी की गयी कुल माँग में से एक प्रकरण में ₹ 80.53 लाख वसूल कर लिये गये थे, जबकि राजस्थान कर बोर्ड द्वारा शेष माँग की वसूली पर स्थगन प्रदान कर दिया गया था। एक अन्य व्यवहारी द्वारा भी माँग की वसूली पर अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) उदयपुर से स्थगन प्राप्त किया गया। शेष प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि विभाग द्वारा व्यवहारी के विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही न की जाये। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)
3(ii)	2 कर निर्धारण प्राधिकारी ¹¹ (मार्च 2017 एवं फ़रवरी 2018)	तीन व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2014-15 व 2015-16 के लिए अपनी त्रैमासिक वैट विवरणियों में राशि ₹ 7.22 करोड़ का आगत कर दर्शाया गया। व्यवहारियों द्वारा अपनी वार्षिक विवरणियों में क्रय वापसियों के सम्बन्ध में आगत कर ₹ 49.14 लाख की कटौती की गयी तथा आगत कर राशि ₹ 6.73 करोड़ का दावा किया गया। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा त्रैमासिक विवरणियों में दर्शायी गयी आगत कर राशि का विभागीय वेब एप्लीकेशन राजविस्टा पर उपलब्ध विवरण से मिलान किया गया तथा राशि ₹ 7.09 करोड़ का आगत कर अनुमत्य किया गया। कर निर्धारण अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि प्राधिकारियों द्वारा व्यवहारियों के कर निर्धारण करते समय क्रय वापसियों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा क्रय वापसियों के सम्बन्ध में आगत कर की अधिक राशि ₹ 49.14 लाख का लाभ अनियमित रूप से अनुमत्य किया गया। <i>इसके परिणामस्वरूप आगत कर राशि ₹ 49.14 लाख का अधिक लाभ दिया गया।</i>	सरकार द्वारा सूचित किया गया (दिसम्बर 2019) कि उपरोक्त प्रकरणों में राशि ₹ 60.51 लाख ¹² की माँग जारी की गयी, जिनमें से एक प्रकरण में ₹ 8.20 लाख वसूल कर लिये गये थे तथा शेष दो प्रकरणों में ₹ 29.40 लाख उपलब्ध आगत कर में से समायोजित कर लिये गये थे। बकाया माँग राशि की वसूली की प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)
4	कर निर्धारण प्राधिकारी वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स कोटा (मार्च 2017 एवं मार्च 2018)	अंतर्राज्यीय खरीद पर कर का अनारोपण एक व्यवहारी द्वारा ईसी जारी किये जाने हेतु विकल्प 'अ' का चयन किया गया था। व्यवहारी द्वारा वर्ष 2014-15 के लिये अपनी वैट विवरणियों में संकर्म संविदाओं के अंतर्गत अपना पण्यावर्त राशि ₹ 7.31 करोड़ दर्शाया गया। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा तदनुसार मुक्ति शुल्क का निर्धारण किया गया। विभागीय वेब एप्लीकेशन 'राजविस्टा' पर उपलब्ध सूचना की जाँच में ज्ञात हुआ कि व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से राशि ₹ 6.80 करोड़ के माल यथा इलेक्ट्रॉनिक सामान, ताम्बे के पाइप, कण्ट्रोल पैनल, केबल, फ्लो-मीटर इत्यादि का	चूक को सरकार के ध्यान में लाया गया (जून 2019)। सरकार द्वारा सूचित किया गया (जनवरी 2020) कि राशि ₹ 69.80 लाख (कर ₹ 44.42 लाख व ब्याज ₹ 25.38 लाख) की माँग जारी की गयी थी। जिसमें से

⁹ वृत्त ; बाँसवाड़ा; चित्तौड़गढ़ एवं विशेष-राजस्थान, जयपुर।

¹⁰ ₹ 2.63 करोड़ : कर ₹ 1.29 करोड़ + ब्याज ₹ 0.62 करोड़ + शास्ति ₹ 0.72 करोड़

¹¹ वृत्त: एम-जयपुर व एफ-जोधपुर।

¹² (कर ₹ 49.65 लाख + ब्याज ₹ 10.86 लाख)।

		<p>क्रय किया। इस सामान का उपयोग उन संकर्मों के निष्पादन में किया गया, जिनके लिये विकल्प 'अ' के अंतर्गत ईसी जारी किया गया था। इसलिये इन सामानों पर मुक्ति शुल्क के अतिरिक्त 5/5.5/14/14.5 प्रतिशत की दर से वैट राशि ₹ 44.07 लाख¹³ आरोपणीय था। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी व्यवहारी का कर निर्धारण करते समय इन सामानों पर कर का आरोपण करने में विफल रहे।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 44.07 लाख के अतिरिक्त ब्याज ₹ 25.75 लाख (दिसम्बर 2018 तक) का कम आरोपण हुआ।</p>	<p>₹ 2.24 लाख वसूल कर लिये गये थे, जबकि अपीलीय प्राधिकारी अजमेर द्वारा माँग राशि ₹ 63.35 लाख की वसूली पर स्थगन प्रदान किया गया था। शेष माँग राशि ₹ 4.21 लाख की वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये थे। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।</p>
5	<p>कर निर्धारण प्राधिकारी वृत्त, सी जयपुर (मई 2016 एवं फरवरी 2018 के मध्य)</p>	<p>अंतर्राज्यीय खरीदों पर कर के आरोपण में विफल रहना</p> <p>दो व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लिये शून्य पण्यवर्त के साथ अपनी वैट विवरणियाँ प्रस्तुत की गयी। बाद में एक व्यवहारी द्वारा वर्ष 2015-16 के लिये अपनी विवरणी प्रस्तुत की। व्यवहारियों द्वारा इसके उपरांत कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी। इसलिये विभाग द्वारा 30 जून 2017 से उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इन व्यवहारियों का वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिये शून्य पण्यवर्त पर कर निर्धारण किया गया।</p> <p>विभागीय वेब एप्लीकेशन 'राजविस्टा' पर उपलब्ध सूचना की जाँच में ज्ञात हुआ कि इन व्यवहारियों द्वारा 2013-14 के दौरान ₹ 3.98 करोड़ मूल्य का माल (स्वाद्य तेल, लौह एवं इस्पात) 'सी' एवं 'एफ' घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध क्रय किया। व्यवहारियों द्वारा इन सामानों के विक्रय अथवा हस्तांतरण का खुलासा उनके पंजीयन निरस्त होने तक भी नहीं किया गया था।</p> <p>इसलिये इन सामानों के अंतिम स्टॉक पर नियम 43 के अनुसार कर देय था। जबकि, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अवधि 2013-14 से 2016-17 के लिये शून्य कर का निर्धारण किया गया।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप पाँच प्रतिशत की दर से कर राशि ₹ 19.92 लाख के अतिरिक्त ब्याज ₹ 6.57 लाख का अनारोपण हुआ।</p>	<p>सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2019) कि विभाग द्वारा जाँच की गयी और पाया कि इन व्यवहारियों के व्यवसाय स्थलों पर व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा रही थी। इसलिए घोषणा प्रपत्र निरस्त कर दिये गये थे तथा अन्य राज्यों के विक्रेता व्यवहारियों जिन्होंने इन घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध कर की कम दर/बिना कर के माल का विक्रय/हस्तांतरण किया था, के कर निर्धारण प्राधिकारियों को पत्र प्रेषित कर दिये गये थे। सरकार द्वारा पुनः सूचित किया गया (नवम्बर 2019) की इन प्रकरणों में अभियोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।</p>
<p>सरकार को आंतरिक नियंत्रण में सुधार के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा के सुदृढीकरण की आवश्यकता है ताकि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।</p>			

उपरोक्त प्रकरणों में आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।

जीएसटी के आंकड़ों तक आवश्यक पहुंच अभी भी उपलब्ध करवायी जानी है। समस्त जीएसटी संव्यवहारों से संबंधित आंकड़ों तक पहुंच ना होना जीएसटी प्राप्तियों की सम्यक लेखापरीक्षा के मार्ग में बाधक रहा। इसलिये वर्ष 2018-19 के लेखे, उपलब्ध करवाये गये अभिलेखों, जो मैनुअली संधारित थे, की नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर प्रथम बार अपवाद के रूप में सत्यापित किये गये हैं।

¹³ आरोपणीय वैट ₹ 44.07 लाख : ₹ 1.06 करोड़ पर 14/14.5 प्रतिशत की दर से ₹ 14.97 लाख तथा ₹ 5.74 करोड़ पर 5/5.5 प्रतिशत की दर से ₹ 29.10 लाख।